राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: mis.nsqf.raj@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप / जय / व्या.शि. / 2018 / 7103 दिनांकः01/ 10 / 2018

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान,
उदयपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बारां,
बांसवाडा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, हनुमानगढ

विषयः– व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 में नवीन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालन बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि व्यवसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत भारत सरकार से नवीन अनुमोदित 185 विद्यालयों में सत्र 2018–19 से व्यावसायिक शिक्षा का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओ द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषयों के प्रशिक्षण कार्य हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से व्यावसायिक प्रशिक्षक Deploy किये जाने है।

संबंधित विद्यालयों की जिलेवार, व्यवसायवार, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता वार सूची एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल संचालन हेतु संलग्न दिशा–निर्देशानुसार पत्र की पालना सुनिश्चित करावें। संस्थाप्रधानों के लिये दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रदान किये जाने हैः–

1. संलग्न सूची अनुसार विद्यालयों में निर्धारित किये गयें व्यवसायों में प्रति व्यवसाय कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रति व्यवसाय एक लैब अर्थात प्रति विद्यालय में दोनो व्यवसायों के लिये पृथक– पृथक लैब की स्थापना की जायेगी इस हेतु पृथक–पृथक दो कमरों का चयन सुनिश्चित करना।
3. प्रति व्यवसाय के अनुसार दोनो व्यवसायों के लिये एक–एक व्यावसायिक प्रशिक्षक संबधित विद्यालय में 1 अक्टुबर 2018 से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा Deploy किये गये है।
4. संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय के एक राजकीय शिक्षक को कौशल मित्र के रूप में नामित किया जाना है।
5. व्यावसायिक शिक्षा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा योजना का प्रभावी संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–

1. व्यवसायवार, जिलेवार, नवीन चयनित विद्यालयों की सूची।
2. व्यावसायिक शिक्षा के दिशा निर्देश।

www.rajteachers.com

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एंव भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूशिप, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूशिप जयपुर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
7. प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली।
8. वित्त सलाहकार, रास्कूशिप, जयपुर।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक संबधित जिले।
10. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त